दिनांक 23.09.2020 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

सुपेला बाजार क्षेत्र के तीन दुकानों को निगम की टीम ने किया सील, 37 लोगों के खिलाफ की चालानी कार्रवाई

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम की टीम ने चौथे दिन बुधवार को लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन वाले 37 लोगों के खिलाफ 19800 रुपए की चालानी कार्रवाई की। आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है , अब टोटल लॉकडाउन पर भी निगम की पैनी नजर होगी, मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक पर निकलने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी! आज निरीक्षण के दौरान सुपेला बाजार क्षेत्र में तीन दुकानों को खुला पाए जाने पर सील बंद कर दिया गया। राकेश किराना, संजय मसाला और एक अन्य किराना लाकडाउन में दुकान खोलकर व्यावसाय कर रहे थे। जिसे जोन-1 आयुक्त सुनील अग्रहरि के निर्देश व भिलाई नगर तहसीलदार की उपस्थिति में सीलबंद करने की कार्रवाई की गई। जोन- 1 के एआरओ शरद दुबे ने बताया कि सुपेला बाजार के राकेश किराना , संजय मसाला सहित एक अन्य किराना दुकान को सील बंद किया गया। तीनों दुकानदार को पहले भी लाकडाउन में दुकान न खोलने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने दुकान खोलकर व्यापार जारी रखा। आज जोन आयुक्त के निर्देशानुसार पंचनामा तैयार कर तीनों दुकान को सील किया गया। पुलिस के जवानों के साथ संजय नगर सुपेला बाजार को बंद कराया गया। वहीं बिना मास्क के घूम रहे पांच लोगों से 1000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा नेहरू नगर में निर्धारित समय के बाद भी अंडा दुकान खुला पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई , यहां शिकायत यह भी थी कि अधिक दाम पर सामग्री का विक्रय किया जा रहा है। वेलमुगन किराना दुकान खुला पाए जाने पर 5 हजार अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद कराया गया! जोन- 4 वीर शिवाजी नगर की टीम ने वार्ड- 34 स्थित मछली मार्केट को बंद कराया। छूट प्राप्त 11 दुकानदारों से मास्क नहीं पहनने पर 4800 रूपए जुर्माना वसूला किया गया। जोन- 2 वैशाली नगर की टीम ने 5 लोगों से 8800 रुपए, जोन-3 की टीम ने 9 लोगों से 3700 रुपए और जोन- 5 सेक्टर-6 की टीम ने सिविक सेंटर क्षेत्र में 7 लोगों से 1500 रुपए जुर्माना वसूला किया। टोटल लॉकडाउन पर निगम प्रशासन की रहेगी नजर , मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक रहेगा पूर्णत: प्रतिबंधित , अनावश्यक निकले तो होगी कार्रवाई जिलाधीश ने मॉर्निंग वॉक एवं इवनिंग वॉक टोटल लॉकडाउन के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित किया है , निगम प्रशासन अब ऐसे लोगों पर नजर रखेगी और अनावश्यक घरों से निकलने वालों पर कार्रवाई करेगी! निगम प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करती है कि अनावश्यक बाहर न निकले , घर में रहें , सुरक्षित रहें! किसी भी प्रकार का कोरोना लक्षण जैसे सर्दी, बुखार, थकान, सुखी खासी, सांस लेने में तकलीफ , गले में खराश आने पर भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित फीवर क्लिनिक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छावनी , शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठ

धाम, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुर्सीपार, एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोसा नाला में जाकर अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं! विदित है कि कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे द्वारा जारी आदेश के तहत दिनांक 24 सितंबर 2020 की प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 30 सितंबर 2020 की रात्रि 12:00 बजे तक धारा 144 जिले में लागू की गई है तथा दुर्ग जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है!